# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

**पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद संख्या :– 03 / 115 / 2018

1. संदीप देशवाल पुत्र ईश्वर सिंह देशवाल निवासी 183 बी0क्यू0 शालिमार बाग नई दिल्ली
..... प्रार्थी

बनाम्

1. सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ .....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128
राज0 काश्तकारी अधिनियम
उपस्थित : श्री कैलाश चन्द भारद्वाज एडवोकेट प्रार्थी
निर्णय दिनांक 16.10.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेंश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेंश कर निवेदन किया की हाल आराजी ख0नं0 372 / 0.51, 373 / 0.15 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ में स्थित है जो प्रार्थी के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नही होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराये जाने बाबत तहसीलदार राजगढ के यहा प्रार्थना पत्र पेंश किया जिस पर तहसीलदार राजगढ द्वारा संबंधित पटवारी को पैमाईश के आदेश दिये जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.06.2018 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। पुष्टि में रिपोर्ट पैमाईश संलग्न है। अब प्रार्थी मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 02.06.2018 के आधार पर आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढी तहसीलदार राजगढ पैमाईश दिनांक 02.06.2018 के अनुसार कराये जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। वकील वादी के आग्रह पर प्रकरण में बहस सुनी गई। यूकि पूर्व पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 02.06.2018 पत्रावली पर संलग्न है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 02.06.2018 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया तथा पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 खाता संख्या 427 वाके ग्राम टहला की नकल पेंश की।

मैने बहस वकुलाय वकील प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलबध जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 खाता संख्या 427 वाके ग्राम टहला के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 02.06.2018 से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार राजगढ के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.06.2018 को आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है। चूकि प्रार्थी आराजी का खातेदार साबित है। इसलिये प्रार्थी को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आराजी ख0नं0 372/0.51, 373/0.15 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजगढ को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर आराजी की पुनः पैमाईश कर पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। तहसीलदार राजगढ को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)